संसद भवन में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन

हिमाचल राज्य से आए सभी नव निर्वाचित माननीय विधायकगण, मैं भारत की संसद में 'प्राइड' की तरफ से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप उस राज्य से आते हैं, जो प्राकृतिक रूप से भी सुन्दर है। संस्कृति के रूप में हिमाचल की एक अलग पहचान है। झील, नदियां, बर्फ और पहाड़, इन सारे क्षेत्रों को मिला कर ऐसा लगता है कि भारत का एक सबसे सुंदर राज्य हिमाचल प्रदेश की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला यह क्षेत्र है। लेकिन विविधता के अंदर भी हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक-राजनीतिक रूप से भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप सबको जनता ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, छोटे-छोटे गांव हैं। इसलिए उन सबकी भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनकी अभिव्यक्ति करने का दायित्व आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अति छोर के व्यक्ति की समस्या और कठिनाइयां हम विधान सभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। एक हमारा महत्वपूर्ण काम यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा करें। उनकी अभावों और कठिनायों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभावों को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपका संपूर्ण राज्य की जनता के कल्याण के लिए है। उनके आर्थिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएं। उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में कानून बना कर, रूल्स बना कर एक पारदर्शी पद्धति से उनकी समस्याओं का समाधान हो, यह भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

राज्य की सर्वोच्च संस्था विधान सभा होती है, इसलिए जितना अच्छा हमारा आचरण होगा, सदन में हम जितनी बेहतर चर्चा और संवाद करेंगे, बेहतर निर्णय करेंगे, उतना ही वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक सकारात्मक संदेश जाएगा मेरा मानना है कि आम जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं राज्य की रहती हैं। इसलिए राज्य विधान सभा लोकतंत्र का एक वह मंच है, जिससे हम जनता से बेहतर संवाद कर के, सरकार से समन्वय कर के और अपनी नियम, प्रक्रियाओं के तहत मुद्दों को उठा कर एक बेहतर समाधान जनता की समस्याओं का कर सकते हैं। हमारे दल, हमारी विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। लेकिन हम सबका एक दायित्व रहता है कि प्रदेश की जनता का कल्याण करना। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। इसलिए ऐसे मुद्दे जो संपूर्ण प्रदेश के लिए कल्याणकारी हैं, सभी हितकारकों के लिए आवश्यक हैं, उसके लिए समय-समय पर कानून में परिवर्तन करते समय हमें व्यापक चर्चा और संवाद करना चाहिए। कानून बनाते समय विधायकों को जनता का फीडबैक भी लेना चाहिए। कानूनी विचार-विमर्श भी एक्सपर्ट से करना चाहिए। फिर कानून बनते समय अपनी चर्चा के अंदर जो कुछ भी अनुभव आपके हैं, उनको आप सदन में रखेंगे तो कानून बेहतर बनेंगे, पारदर्शितापूर्ण बनेंगे और जनता के लिए कल्याणकारी होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है। इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है। हमारे देश के अंदर, क्योंकि प्राचीनतम लोकतंत्र होने के कारण हमारी विचारधारा, हमारी कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक रूप से चलने वाले चाहे गांव हो, ढाणी के अंदर हमारा जनमानस, इसलिए आप देखते होंगे

कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर देश में सामाजिक, आर्थिक रूप से व्यापक तौर पर एक सकारात्मक बदलाव लाए। आजादी के पहले भी भारत में लोकतंत्र था। गांव के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं थीं, परिपाटियां थीं। गांव में जो कुछ निर्णय होते थे, सभी उनको मानते थे। लेकिन आजादी के बाद जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपना तो दुनिया के कई देश यह मानते थे कि इतने बड़े देश के अंदर, जहां कि भौगोलिक स्थितियां अलग-अलग हों, विचारधारा अलग-अलग हो, संस्कृति अलग-अलग हो, बोली अलग हो, खान-पान अलग हो, वहां किस तरीके से देश में संसदीय लोकतंत्र चल पाएगा। ये आशंकाएं दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में थीं। लेकिन भारत में जब संविधान बना, उस समय हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। सबको मताधिकार दिया गया। हमने लिंग के आधार पर मत का विभाजन नहीं किया। उस समय जो दुनिया के अंदर अलग-अलग पद्धतियां होती हैं, हमने संसदीय लोकतंत्र पद्धति को अपनाया है, जो दुनिया के अदंर आज सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक पद्धति है। जहां-जहां भी संसदीय लोकतंत्र है, वहां पर शासन ठीक से चला है, जनता की भावना के साथ। कुछ अपवाद हो सकते हैं। मेरा तो मानना है कि एक विधान सभा के सदस्य के रूप में आपको भारत के संविधान को जानना चाहिए।

भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं, उसके अंदर राज्य को कानून बनाने के लिए क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं और राज्यों के क्या-क्या अधिकार हैं, उसको जानना चाहिए। विधान सभा के नियम-प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। विधान सभा के पुराने डिबेट, चर्चा और संवाद का अध्ययन करना चाहिए। जब कभी सरकार कानून बनाए तो उस कानून पर विधान सभा में क्या- क्या चर्चा हुई और संसद में उस विषय पर क्या-क्या चर्चा हुई, उसका रिसर्च पेपर तैयार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम जितना बेहतर तरीके से सदन के पटल पर अपनी बातों को रखते हैं, उतने ही बेहतर जनप्रतिनिधि बनते हैं। विधान सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप का व्यक्तित्व निकलता है। आपके संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का लाभ देश, सरकार और जनता को मिलता है। इसलिए, जितनी देर तक आप सदन में बैठेंगे, आपको उतना ही अनुभव प्राप्त होगा। एक विधान सभा के प्लेटफॉर्म पर आपको राज्यों के अलग- अलग क्षेत्रों की समस्याएं भी ध्यान में आएंगी। जब अलग-अलग क्षेत्रों से विधायक आते हैं, तो वे अलग-अलग मुद्दे उठाते हैं। सरकार को जानने के लिए, सरकार को समझने के लिए, सरकार और पूरे प्रदेश की समस्याएं एवं अभाव को समझने के लिए विधान सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे पूरे राज्य का विषय उनके ध्यान में आ जाता है। वे चाहे सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो, जो बात विधान सभा में होती है, सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है। सरकार देखती है कि यह मुद्दा क्यों उठा, यह विषय क्यों उठा और यह समस्या क्यों उठी? जब सरकार सकारात्मक प्रयास करती है, तो बदलाव आता है और उस बदलाव से जनता का कल्याण होता है। मेरा मानना है कि हमारे विधान सभाओं में और विशेष रूप से संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है, वह दलों से ऊपर उठकर चर्चा होती है। इसलिए, आप सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम पूरे संविधान को जाने और संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के जो अधिकार हैं, उनकी जानकारी लें। हम विधान सभा के रूल-रेगुलेशन को समझें। वहां की पुरानी डिबेट और चर्चा को समझें। वहां की परम्परा और परिपार्टियों को समझें। किस तरीके से जो श्रेष्ठ विधायक रहे, जो विधान सभा से नेता बने, उनके अनुभव को आप जितना समझेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा।

मेरा मानना है कि विधान सभा में आपको विषय उठाने का मौका मिले न मिले, लेकिन जितनी देर आप विधान सभा में बैठेंगे, उतनी ही ज्यादा विषय आपके ध्यान में आएंगे। आप चर्चा के समय उन सारे विषयों को सकारात्मक रूप से सदन में रख सकते हैं। क्योंकि, जनसंवाद तथा जनता से सम्पर्क आदि तो हमारे जीवन की आवश्यकता है। यह काम सभी माननीय विधायक करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत है। मुझे जानकारी है कि वहां पुरानी डिबेट, चर्चा तथा संवाद का डिजिटलीकरण हो चुका है। इसलिए, जो मुद्दे आते हैं, उस मुद्दे पर पहले क्या विषय उठे थे, किस विषय पर कौन-से मुद्दे उठाये गए थे और किसने क्या बोला था, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेगी और उसके अनुभव का लाभ अपनी चर्चा और संवाद के प्रक्रिया के दौरान मिलेगा। यह चिंता का विषय है कि विधान सभाओं का सत्र बहुत कम दिन चल रहे हैं। यह सबके लिए चिंता का विषय है। समय- समय पर हम इस विषय की चर्चा करते रहते हैं। हमारा मानना है कि विधान सभा में न व्यवधान होना चाहिए और न नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करने की परम्परा होनी चाहिए। हर विषय पर डिबेट होना चाहिए। सहमति-असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है। जहां आवश्यकता हो, वहां हम आलोचना करें। हम सकारात्मक आलोचना करें। लेकिन, आरोप-प्रत्यारोप लगाते समय हमें बिना तर्क के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। हम सभी को इससे बचना चाहिए। हमारा यह लोकतंत्र के मंच आरोप-प्रत्यारोप के लिए नहीं होते हैं। ये किसी पॉलिसी और कार्यकलापों के लिए होती है। हमें आलोचना करनी चाहिए। हमें तीखी आलोचना भी करनी चाहिए। सदन के अंदर आप जितनी तीखी आलोचना करेंगे और सकारात्मक सुझाव देंगे, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेगी तो सरकार को भी अपनी कार्य योजना बनाने में बहुत बड़ा लाभ विधान सभा की डिबेट और चर्चा से मिलता है। मुझे भी पता है कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहां छोटे-छोटे गांव और ढाणियां हैं। कुछ इलाकों में चारों तरफ पहाड़ है। वहां इस प्रकार की कठिनाई जरूर है, लेकिन अंतिम पहाड़ पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरी भावनाओं, कठिनाइयों और अभावों को समझता है। उनको लगना चाहिए जिनको मैंने चुनकर भेजा है, वह मेरी बात को सदन के पटल पर रखकर सरकार से सकारात्मक रूप से हल करने प्रयास कर रहा है। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हमें यही विश्वास व भरोसा जनता को दिलाकर रखना चाहिए कि आप अंतिम छोर पर बैठे हैं और आपने ही मुझे चुनकर भेजा है, इसलिए, हम आपकी आवाज है और आपकी भावनाओं को सदन में रखेंगे। हमें इसका सकारात्मक रूप से प्रयास करना चाहिए। इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। इसीलिए, जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है।

आप सभी यहां पर आए हैं। यहां पर आपका दो दिन का प्रशिक्षिण शिविर होगा। आप यहां की लाइब्रेरी देखें। अगर आपको समय मिले तो आप यहां की डिबेट्स का भी अध्ययन करें। किस तरीके से सदन की उच्च परंपरा व परिपाटियां रही हैं, उसी तरीके की उच्च परंपराएं व परिपाटियां विधान सभा में भी रहें। आप यहां पर पधारे हैं, आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं व बधाई।